

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Sri Balaji Action Medical Institute

A-4, Paschim Vihar.

New Delhi - 110063

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नितिश कुमार सिंह पिता- निर्मल सिंह ग्राम+पो०- उचकागाव थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज	ट्रामा (स्पाईनल कोड)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000 / -	

- अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000 /- (पचास हजार) रुपये का क्रास चेक सं०. 002672 मूल रूप में सलग्न है।
- प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीजों, उनके अभिभावक/उत्तराधिकारियों से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाएगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर निर्णय प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को बार-बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1526(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० . . . . की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-1 '2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
गोरखपुर 273008

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	खुशबु गोस्वामी पति- रजीत गोस्वामी ग्राम- चाणक्य नगर सिधिया टोला शिवबदिर चौक पो०- गुलाबबाग थाना- सदर जिला- पूर्णिया सीआर न०- 999182402923132	Crohn's Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

2. अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /- (एक लाख) रुपये का क्रास चेक स० 002670 रूप में सलग्न है।
3. प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज के अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाये।
4. अनुदान कृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर सुनिश्चित किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज के अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाये।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना मे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/5/2026

ज्ञापाक 1520 (14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / संबधित मरीज / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
25/5/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

पेगक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Centre for Neurosciences & Trauma,  
20/152, 154, 156, Sector-25 Crossing  
Indira Nagar Lucknow - 226016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अरपताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चद्रकात कुमार पिता- धनन्जय सिंह ग्राम- फुल्ली पो०- पीपरा थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	ब्रेन ट्यूमर / सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000 / -	

नोट :- The payment should be made in favour of 'CNS HOSPITAL' payable at Lucknow only.

- अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) रूपये का क्रास चेक स० 002673 ... ..  
रूप में सलग्न है।
- प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित  
आपके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर  
दिया जायगा।
- यदि प्रतिकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा  
प्राप्त किया जाय। अनावश्यक लोगों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार  
अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।  
प्रातकलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की  
संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एरा० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1531(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक . . .

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	लालबाबू प्रसाद पिता— कृष्णा प्रसाद ग्राम— बसवरिया पो०+थाना— घोडासाहन जिला— पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०— 108508337	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आदित्य कुमार पिता— सजय कुमार ग्राम+पो०— मटिहानी थाना— मटिहानी जिला— बेगूसराय यूएचआईडी न०— 105961305	हेरीडीट्री एसथेरो साइटोसिस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	भावना भारती पिता— सजय कुमार ग्राम+पो०— मटिहानी थाना— मटिहानी जिला— बेगूसराय यूएचआईडी न०— 106006269	हेरीडीट्री एसथेरो साइटोसिस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

4	सजय कुमार पिता- सत्यनारायण सिंह ग्राम- गेट न0- 45 सीतारथान मैनपुरा पो0- जी पी ओ थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना यूएचआईडी न0- 108423493	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			8,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 15/9 (14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 002677... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई.टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्याधि प्रेषित।

25/5/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1  
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक . . . . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरिता देवी पति- अनिल कुमार ग्राम- नई कर्मण टोला पो०- नवादा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर	Chronic Liver Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सिदेश कुमार सुधाशु पिता- सुधीर कुमार सुधाशु ग्राम-16 जी०/5 वेस्ट आनन्दपुरी बोरिंग रोड पो०-एस०के०पुरी थाना-श्रीकृष्णापुरी जिला-पटना	Necrotizing Pancreatitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002674 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/5/2026

ज्ञापक 1521 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०  
ओखला रोड,  
नई दिल्ली 110025

पटना, दिनांक. . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शानवी राज पिता-सतीश कुमार ग्राम+पो०-परसाहाट थाना-रानीगंज जिला-अररिया	हृदय रोग टी०ओ० एफ०	2,80,000	दो लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			₹ 2,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 006-297816-001, खाता धारक का नाम- स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम The Hong Kong and Shanghai Banking Corporatic शाखा का नाम- Mumbai RTGS/IFSC कोड सं०-HSBC 0400002 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

- निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1522(14)

पटना, दिनांक 25/5/2021

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002677... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल ईस्ट ब्लॉक  
(ए यूनिट ऑफ देवकी देवी फाँउण्डेशन) साकेत  
2, प्रेस इन्कलेव रोड साकेत, नई दिल्ली- 110017

पटना, दिनांक. . . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रौशन प्रवीन पति— मो० आलमगीर खान ग्राम— ईदगाह मोहल्ला पो०— डिहरी थाना— डेहरी जिला— रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002677 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 650014107927, खाता धारक का नाम— **Devaki Devi Foundation**, खाते का प्रकार— Cash Credit Account, बैंक का नाम Indusind Bank Limited शाखा का नाम— **Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110001**, RTGS/IFSC कोड सं०— INDB0000005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1523(14)

पटना, दिनांक

25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 00267... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में ) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/5/26  
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14 / एम 11-01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
Max Super Speciality Hospital,  
(A unit of Muthoot Hospital Pvt. Ltd)  
Plot No.1 Sector-10, Dwarika,  
New Delhi - 110075

पटना, दिनांक... ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार पिता- लालबिहारी राय ग्राम- बोकनारी कला पो०- पाईबिगहा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 001677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- MSSDWK001403, खाता धारक का नाम- MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL DWARKA COLLECTION AC-A U/F MUTHOOT HOSPITAL P LTD., खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- ICICI BANK, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- ICIC0000106 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1524(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य  
विभाग,  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इंडियन स्पाईनल इंजुरी सेंटर  
सेक्टर-सी० बसंतकुंज  
नई दिल्ली -110070

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हरिप्रकाश गुप्ता पिता- गगाराम बजाज ग्राम- पुराणी बाजार पसनौली पो०+थाना- महाराजगज जिला- सिवान	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-000701002650 खाता धारक का नाम-INDIAN SPINAL INJURIES CENTRE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, Limited. शाखा का नाम-Opposite Sec-C vasant kunj, RTGS/IFSC कोड सं०- ICIC0000547 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/5/2026

ज्ञापाक 1525(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002677... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्र्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
North East Health Care Private Limited  
(Marengo Asia Hospita, Gurugram)  
Golf Course Ext. Riad, Sushant Lok-2, Sector 56,  
Gurugram, Haryana - 122011

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप कुमार चौधरी पिता— महेन्द्र चौधरी ग्राम— गौर अधरा पो०— अधराठाढी थाना— रुद्रपुर जिला— मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 102677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 03992320003094, खाता धारक का नाम— NORTH EAST HEALTH CARE PVT. LTD, खाते का प्रकार— CURRENT, बैंक का नाम— HDFC BANK LTD, शाखा का नाम— VATIKA TOWER, MG ROAD, GURGAON, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000280 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।



5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1527(14)

पटना, दिनांक

25/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) // आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
**Medanta Hospital,  
Sector-A, Pocket 1,  
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,  
Lucknow - 226030**

पटना, दिनांक . . . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सुमित्रा देवी पति- ध्रुव प्रसाद ग्राम- मठिया हरदो पो०- नेचुआ जलालपुर थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1528 (14)

पटना, दिनांक

25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई. वी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/5/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक ...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता— गौरी शंकर प्रसाद ग्राम+पो0— इनरवा फुलवार थाना— लखौरा जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर नं0— 20251236348	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अश कुमार पटेल पिता— बबलू पटेल ग्राम— औरइया देई पो0— दरौली थाना— भभुआ जिला— कैमूर भभुआ सीआर नं0— 2026388978	Achalasia Cardia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सनोज कुमार गिरी पिता— मकेश्वर गिरी ग्राम— मठचीलावे पो0— बजहिया थाना— दरियापुर जिला— सारण सीआर नं0— 2025414067	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
4	हरेन्द्र कुमार पिता— स्व० उमाशंकर प्रसाद ग्राम— कल्याणपुर पो0+थाना— फतुहा जिला— पटना सीआर नं0— 20251059438	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	सोनू कुमार पिता- कामख्या ठाकुर ग्राम- मुशहरी पो0- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर नं0- 2025165244	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	धर्मेद्र कुमार पिता- जगदीश महतो ग्राम- बैकुठवा पो0- खडा कुजलही थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2026412397	Non- Healing Ulcer	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	सलमा खातून पति- मो0 सौकत खान ग्राम- मोथा पो0- भदासी थाना- अरवल जिला- अरवल सीआर नं0- 2026408696	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	शैल देवी पति- रवि शकर ओझा ग्राम- अमवा पो0- नेचुआ जलालपुर थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2019852117	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	प्राजल शाही (Pranjal Kumar) पिता- पकज कुमार सिंह ग्राम- चैनपुर पो0- चैनपुर हाटा थाना- हथुआ जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2025125591	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	प्रतिमा देवी पति- अमित कुमार ग्राम+पो0- डिभिर्यो थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर नं0- 2021013414	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	मगली देवी पति- गोपाल मडल ग्राम- ओलनीटोला पो0- मौलटोला थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर सीआर नं0- 2024387982	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

12	अमरेन्द्र कुमार शाही पिता- सुखदेव शाही ग्राम- शकरा पो0- शिवपुर शकरा थाना- असाँव जिला- सिवान सीआर न0- 2016975403	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	गगेश्वर कुमार पिता- हरी पटेल ग्राम- खैरहनी दोन पो0- नौरंगिया दोन थाना- गोबरहिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2023995521	ब्रेन ट्यूमर / सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	धर्मशीला देवी पति- शत्रुघन चौधरी ग्राम- आरोपुर पो0- रूपौली थाना- जैतपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2026256561	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	बच्चा बाबु प्रसाद पिता- सिंगासन प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2022256702	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अरविन्द सिंह पिता-एकराम सिंह ग्राम-चन्दा केवटिया पो0-चन्दा केवटिया थाना-बहोरनपुर जिला भोजपुर सीआरन0-2023572464	psoriatic arthritis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			20,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,50,000/- (बीस लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/5/2026

ज्ञापाक 1529 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक, /अधीक्षक  
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान  
संस्थान, गोमती नगर  
लखनऊ -226010

पटना,दिनाक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनवत चौहान पिता- लक्ष्मन चौहान ग्राम- गिरधर पोईया पो०- छितौना थाना- कटेया जिला- गोपालगंज	Robotic Bladder Augmentation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002677..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।



प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1530(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.02.67.7 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक ..... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	भारती कुमारी पिता- छेदन राम ग्राम- मानपुर पेहानी पो०+थाना- बुनियादगंज जिला- गयाजी एमआरडी न०- 7196990	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अनिल कुमार पिता- स्व० बनारसी शर्मा ग्राम+पो०- मुठानी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ ओपीडी न०- TCBHU 2602070303	हीप रिफ्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	कृष्णावती देवी पति- बिशेश्वर चौबे ग्राम- बिदामनचक पो०- उपरी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 8112573	CKD	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मुनि देवी पति- मृत्यजय राय ग्राम+पो०- पानापुर थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न०- 8155294	CKD	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	शिव कुमारी देवी पति- जय प्रकाश सिंह ग्राम- गोबर्धनपुर पो0- गंगौली थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास एमआरडी न0- 3938161	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सीताराम यादव पिता- स्व0 सुकदेव यादव ग्राम- रामबालिया वार्ड 10 पो0- सेमरा मेड्रॉल थाना- चिऊटाहॉ जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0- 845105	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अनिल कुमार पिता- मूखिया राम ग्राम- अरंग पो0- बसडिहन थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 8277253	न्युरो रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 5,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,70,000/- (पाँच लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002677 .. ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
- 5 चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। **यदि**

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1532(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 0.02677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुखदेव यादव पिता- रामधनी यादव ग्राम- महकार पो०- सिउर थाना- रोह जिला- नवादा केस फाईल न०-18एफ2026/004198	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शकुतला देवी पति- सुबास साह ग्राम- बोरवल नरवल पो०- बोरवल थाना- पटखौली जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- केई/06115	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	गोलू कुमार पिता- स्व० भोला प्रसाद ग्राम- दुजरा चक बुद्धा कॉलोनी पटना 01 पो०- जीपीओ थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना केस फाईल नं०-11एफ2025/015151	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अभिषेक कुमार पिता- आनंद कुमार ग्राम+पो०+थाना- डोभी जिला- गयाजी केस फाईल न०-18एफ2024/017700	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	फरजाना खातून पति- हसमूद्दीन ग्राम- लौवान पो0- हरदिया थाना- बडहरिया जिला- सिवान केस फाईल नं0-18एफ2026/006104	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुमन पाण्डेय पति- मुकेश कुमार पाण्डेय ग्राम- अधिवक्ता नगर पो0+थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2025/000827	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुनील सिंह पिता- शिवनाथ सिंह ग्राम+पो0- एकौना थाना- बडहरा जिला- भोजपुर केस फाईल न0- केई/11187	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रामा शकर कुमार पिता- स्व0 हरखित सिंह ग्राम- कूज पो0+थाना- नालदा जिला- नालंदा केस फाईल नं0-16एफ2025/001561	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अशोक महतो पिता- महादेव महतो ग्राम- गुणसागर पो0+थाना- तेतरहाट जिला- लखीसराय केस फाईल न0-16एफ2026/000800	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	शर्मीला देवी पति- जितेश कुमार सिंह ग्राम+पो0- परशुरामपुर थाना- अमनौर जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2025/009007	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	मास्टर शाश्वत (Shashwat) पिता- रोहित आनंद ग्राम- चौधरी मुबारक अली मेदनीमल पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0-18एफ2024/014455	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	पुष्पलता कुमारी पति- चिन्मय आनंद ग्राम+पो0- रघुनन्दनपुर थाना- भगवानपुर पुलिस स्टेशन जिला- बेगूसराय केस फाईल नं0- केई/00651	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	सिमरन खातून पिता- डबलू फारूकी ग्राम+पो0- शिवसागर थाना- शिवसागर जिला- रोहतास केस फाईल न0-16एफ2026/000827	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	शारदा देवी पति- सूर्यनाथ सिंह ग्राम- लेरूआ पो0- कचनपुर थाना- सासाराम जिला- रोहतास केस फाईल नं0-18एफ2026/003331	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	अरून कुमार सिंह पिता- सुरेश सिंह ग्राम+पो0- नागपुर थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2026/000727	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	मास्टर सुधाशु कुमार पिता- मदन महतो ग्राम+पो0- लोहरा थाना- जमुई जिला- जमुई केस फाईल न0-16एफ2026/000936	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	ललन सिंह पिता- मथुरा सिंह ग्राम- गगतुआ पो0- नियामतपुर थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-16एफ2026/000434	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	मजू देवी पति- मुन्ना प्रसाद ग्राम- बाटा मोड स्टेशन रोड गया पो0- आर एस गया थाना- कोतवाली जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2026/001425	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	सुमित्रा देवी पति- श्री साह ग्राम- नावाडीह पो0- गम्हरिया थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025/021997	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	शारदा देवी पति- विश्राम यादव ग्राम- घोटा पो0- कर्मा पांडेय थाना- बदेया जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-18एफ2025/004907	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

21	गीता देवी पति- विजेदर कुमार राय ग्राम-कोथवा पो0+थाना- खगौल जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2026 / 006377	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	हरिद्वार सिंह पिता- स्व0 रामाश्रय सिंह ग्राम- नौनाकोन वार्ड 13 पो0- बरहुती कलां थाना- कोचस जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025 / 022582	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	बेबी देवी पति- रामकृष्ण प्रसाद ग्राम- हसनपुर पो0- नाहुब थाना- राजगीर जिला- नालदा केस फाईल न0-19एफ2025 / 004980	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	नसीमा खातून पति- मीरहसन असारी ग्राम- बलुआ टोला पो0- जादोपुर शुकुल थाना- यादोपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2026 / 001749	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	अजय कुमार राम पिता- ईश्वर दयाल राम ग्राम+पो0+थाना- इटाढी जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025 / 008130	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	नन्दजी बारी पिता- मुना बारी ग्राम- मंगराव पो0- सगराव थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल न0-16एफ2026 / 000178	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
27	सुरेन्द्र कुमार राय पिता- शिवजी राय ग्राम- महाराजगज पो0- रैली थाना- एन0टी0पी0सी0 जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2025 / 022388	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

28	उपेन्द्र लाल पिता- जगनारायण लाल ग्राम- भदवर वार्ड 06 पो0- भदवर थाना- चादी जिला- भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2026/004442	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	कपिला देवी पति- अर्जुन दास ग्राम7 हरिचद्र तालाब नवादा पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा केस फाईल न0-18एफ2026/002488	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	पकज कुमार पिता- राजेश्वर यादव ग्राम- कपसिया पो0- किशनपुर थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा केस फाईल न0-16एफ2026/000899	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	आनन्द कुमार पिता- बिनय कुमार ग्राम- गजाधर चक गोला रोड दानापुर कैट पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2025/018910	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			32,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 32,60,000/- (बत्तीस लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002677..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1533(14)

पटना, दिनांक— 25/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/ एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रोक्साना बानो पिता/पति- मो० असलम ग्राम- एरकी जहानाबाद पो०- जहानाबाद थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद केस फाईल न०- 11एफ2025/022443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अमित कुमार वर्मा पिता- स्व० रसिक बिहारी ग्राम- बालगोविंद बिगहा डेहरी वार्ड 37 पो०+थाना- डेहरी जिला- रोहतास केस फाईल न०- 11एफ2023/025472	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	नशीब लाल पिता- स्व० जमुना प्रसाद ग्राम- चौरई पो०- एकगर थाना- औगारी जिला- नालदा केस फाईल नं०- सीपी/08229	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	जनेसार अख्तर पिता- दबरी उद्दीन ग्राम- करहरा पो०+थाना- महलगाव जिला- अररिया केस फाईल न०- 11एफ2023/036757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मीना देवी पति-बालमुकुद शर्मा ग्राम-महेशपुर पो0-चेवाडा थाना करडे जिला शेखपुरा केस फाइल न0- 11एफ2024/023164	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	अरेन्द्र प्रसाद यादव पिता-शिव प्रसाद यादव ग्राम+पो0-कौप थाना-सौर बाजार जिला- सहरसा केस फाइल न0- सीआर/37781	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 0.02677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुंबई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा-

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1534(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख



स0स0 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड  
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय कुमार वर्मा पिता- रूपलाल यादव ग्राम- करना पो०+थाना- नारदीगज जिला- नवादा सीएमसी न०- 093067 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	यदुनदन प्रसाद पिता- गुरु सहाय यादव ग्राम- नावाडीह पो०- मथुरापुर थाना- लछुआरा जिला- जमुई सीएमसी न०- 950858 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	पदलोचन महतो पिता- युधिष्ठिर महतो ग्राम+पो०- टेकारी थाना- टिकारी जिला- गयाजी सीएमसी न०- एके 23220	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	नदकिशोर मडल पिता- जगरनाथ मडल ग्राम- तेलवा पो०- तेलवा बाजार थाना- सिमुलतला जिला- जमुई सीएमसी न०- 784609 पी	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	जानकी देवी पति- कृष्णा मडल ग्राम- महमदपुर पो0+थाना- अमरपुर जिला- बाका सीएमसी न0- एके 75633	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
6	खुशबू कुमारी पति- विकाश कुमार ग्राम+पो0- गोला बाजार थाना- कौवाकोल जिला- नवादा सीएमसी न0- 199593 एच	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
7	नीतीश पासवान पिता- महेद्र पसवान ग्राम+पो0- कन्हाईपुर थाना- मोकामा जिला- पटना सीएमसी न0- एजे 09185	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	मनीष कुमार पिता- त्रिलोकी यादव ग्राम- बिशनपुर पो0- गादी बिशनपुर थाना- गरही जिला- जमुई सीएमसी न0- एके 37421	हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
9	प्रियाशु राज पिता- प्रेम नदन कुमार ग्राम+पो0+थाना- कुसुम्मा जिला- शेखपुरा सीएमसी न0- एपी 38070	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	मधु देवी पति- सजय प्रसाद सोनी ग्राम+पो0+थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद सीएमसी न0- एजे 73920	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	रवि कुमार पिता- सजीवन सिंह ग्राम- बहपुरा वार्ड 04 पो0- बहपुरा थाना- बिहटा जिला- पटना सीएमसी न0- एजे 16454	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
12	मनोज साव पिता- सेवा साव ग्राम- इटौन पो0- मननपुर थाना- चानन जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एए 03131	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

13	बैजनाथ सिंह पिता- बगाली सिंह ग्राम+पो0- बहम्वार थाना- पीरो जिला- भोजपुर सीएमसी न0- एपी 36289	Bilateral Staged PCNL	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	बबिता कुमारी पति- धर्मद्र कुमार चद्रवशी ग्राम- भीमपुरा पो0- घोरहुआँ थाना- मसौढी जिला- पटना सीएमसी न0- एपी 75793	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	सतोष कुमार पिता- जगत प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0- योगीपुर थाना- हिलसा जिला- नालदा सीएमसी न0- एए 68943	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
16	गुलाम नवी आजाद पिता- मो0 इस्माइल ग्राम- पुरुषोत्तमपुर पो0- किशुनपुर मोहीनी थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी न0- एआई 45267	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
17	सुनील कुमार पिता-नन्दलाल शर्मा ग्राम-मैन रोड मार्शल बाजार दानापुर, पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला पटना सी0एम0सीन0-ए0पी 44557	वृहत ब्रेन सर्जरी	2,75,000	दो लाख पचहतर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			36,75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 36,75,000/- (छत्तीस लाख पचहतर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002674.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड सं-SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1535 (14)

पटना, दिनांक

25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक/अधीक्षक,  
इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज  
एंड रिसर्च सेंटर बी०जे० मेडिकल कालेज  
एंड सिविल अस्पताल कैम्पस असरवा  
अहमदाबाद-380016

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रेम कुमार पिता- राम नारायण राम ग्राम- बरमसिया कटिहार पो०- कटिहार थाना- कटिहार सहायक जिला- कटिहार	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अजित कुमार पिता- जवाहर सिंह ग्राम- सुकहरा पो०- धवनी थाना- काराकाट जिला- रोहतास	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 7,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000/- (सात लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002677 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० -353501011014063 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- युनियन बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-Civil Hospital Compound Branch, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० UBIN 0558486 में अंतरित किया जाता है।



- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1536 (14)

पटना, दिनांक

25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002671 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर  
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु  
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक .....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो0 नसीम पिता- मो0 सफीक ग्राम- बघडा टोला लक्ष्मीपुर पो0- खालिसपुर थाना- सिवान मुफ्फसिल जिला- सिवान	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002674.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 232102000000002, खाता धारक का नाम- बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स0 IOBA0002321 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1537 (14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002677 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई. टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख